सं०सं०–03/परी0–बि०त०से०आ०–48/2022...400...... पटना, दिनांकः–...12.02.2024

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं0–07/2022, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०)

बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–07/2022 के अन्तर्गत दिनांक–05.01.2024, 11.01.2024 एवं 12.01.2024 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का परीक्षा का अंक आयोग के **Website- www.btsc.bih.nic.in** पर प्रकाशित कर दिया गया है। आयोग के Website पर Login कर अभ्यर्थी अपना अंक एवं योग्य/अयोग्य (Qualified/Not Qualified) होने की सूचना देख सकते हैं।

नोटः– (i) विज्ञापन की कंडिका–4(i)(e) एवं 4(i)(i) के शर्त्तों का अनुपालन किया गया है। लिखित परीक्षा (Computer Based Test) में प्राप्त अंकों के आलोक में कंडिका–4(i)(i) के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य (Not Qualified) किया गया है।

(ii) Computer Based Test में उपस्थित कुल–46862 में से कुल–8791 अभ्यर्थी योग्य (Qualified) पाये गये हैं। उक्त योग्य अभ्यर्थियों में से कोटिवार मेधासूची के आधार पर दिनांक–16.02.2024 से दस्तावेज सत्यापन का कार्य दो पालियों पटना में संभावित है। इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम (स्थान/तिथि/पाली) निर्धारित कर सूचना अलग से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग के Website का सतत् अनुश्रवण करते रहेंगे।

संभावित तिथि से दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की **मूल प्रति** एवं सभी प्रमाण पत्रों की **दो(02) प्रति स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति** दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के दौरान निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों का मूल से सत्यापन कराया जाना है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र० सं०	प्रमाण–पत्रों की विवरणी	प्रमाण–पत्रों का निर्गत होने का अन्तिम कट–ऑफ तिथि
I	मैट्रिक का प्रमाण–पत्र	–––
II	निवास प्रमाण–पत्र	
III	फोटोयुक्त पहचान पत्र	
IV	**शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र** (i) ANM का उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र/औपबंधिक प्रमाण–पत्र। (ii) ANM के सभी वर्षो का उत्तीर्णता से संबंधित अंक–पत्र।	01.09.2022

V	**निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र** बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् का निबंधन प्रमाण–पत्र।	(A) दिनांक–15.09.2022 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 15.09.2022 तक (B) दिनांक–22.09.2023 से 06.10.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 06.10.2023 तक
VI	**आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण–पत्र** जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र। **नोटः– आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	
VII	**दिव्यांगता प्रमाण–पत्र** **नोटः– आवेदन में दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	
VIII	**स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र** **नोटः– आवेदन में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	
IX	Online Form की प्रति	–––
X	Online Form में Upload किये गए फोटोग्राफ की पाँच प्रति।	

3. यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
4. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 एवं पत्रांक–704, दिनांक–10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अचंल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि/पाली में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्रों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
8. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
9. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए संलग्न Registration No. वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।

10. अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय–समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

ह०/ 12.2.2024.

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\A.N.M\Suchna JanSampark\Notice (Website)_3